


उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग-3
संख्या- 500 /XX-3-2016-05(09)2011
देहरादून: दिनांक 08 फरवरी 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1974) की धारा 357-क सपटित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड में अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 की अनुसूची-1 के क्रम-6, 8 एवं 9 में अंकित धनराशि के स्थान पर निम्नानुसार धनराशि संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	हानि या क्षति का विवरण	वर्तमान सहायता की अधिकतम सीमा	प्रस्तावित सहायता की अधिकतम सीमा
6	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हो	रु० 50,000/-	रु० 2,00,000/-
8	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जो 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो	रु० 1,00,000/-	रु० 4,00,000/-
9	अप्राप्तवयस्क (Minor) का बलात्कार	रु० 2,50,000/-	रु० 7,00,000/-

2- इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-4250/XX-3-2012-05(09)2011 दिनांक 16 जुलाई, 2013 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।


(डॉ० उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 500 /XX-3-2016-05(09)2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
11. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राजकीय गजट में प्रकाशित कर अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. विभागीय आदेश पुस्तिका/एन०आई०सी०।

अज्ञा से,

(अजय रौतेला)
अपर सचिव।